न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–श्री रोहिताश्व सिंह तोमर आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 17/2025

बउनवान

श्री केदारलाल पुत्र श्री कल्याण जाति नायक निवासी ग्राम बड़गांव तहसील अन्ता, जिला बारां, राज0

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, अन्ता जिला बारां (राज0) (रेस्पोंडेंट)

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :– 1. श्री ओमप्रकाश खंडेलवाल, अभिभाषक (अपीलांट)

2. पेरोकार सरकार (रेस्पोंडेंट)

निर्णय दिनांक– 24.09.2025

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अन्ता के आदेश दिनांक 24.02.2025 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय की पेश की है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम बड़गांव तहसील अन्ता की आराजी खसरा नम्बर 594, 596/2486 रकबा 0.46 है., किस्म–बंजड़ पर अतिक्रमी मानकर दिनांक 24.02.2025 को निर्णय पारित कर 552/–रूपये शास्ति आरोपित कर तीस दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपीलांट ने अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून तथ्यों एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत एवं न्याय के नैसर्गिक नियमों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अपीलांट को सुनवायी एवं जवाबदेही का कोई अवसर नहीं दिया तथा एकतरफा निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को गलत रूप से पश्चातवर्ती अतिक्रमी माना है जबकि अपीलांट का उक्त भूमि पर कभी कोई कब्जा नहीं रहा है ना ही ऐसी कोई साक्ष्य पत्रावली पर है। अपीलांट द्वारा उक्त आराजी से अपना कब्जा छोड़ दिया है तथा भूमि रिक्त पड़ी हुई है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना मौके पर अतिक्रमण/कब्जे की जांच किये अपीलांट को सजायाब कर त्रुटि की है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.02.2025 निरस्त फरमावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.10.14 10:59:54 IST
Reason: SelfAttested

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस हेतु प्रकरण नियत किया गया।

जिला कलक्टर
बारॉं (राज॰)

हमने बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं पेरोकार सरकार की सुनी। दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेहीं का अवसर नही दिया गया है। अपीलांट का उक्त भूमि पर कभी कोई कब्जा नही रहा है, और ना ही ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना मौके पर अतिक्रमण/कब्जे की जांच किये अपीलांट को सजायाब किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 24.02.2025 निरस्त फरमावें।

दौराने बहस पेरोकार सरकार ने अपील में अंकित तथ्यों का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को उक्त आराजी पर पूर्व में संवत 2080 फसल रबी में भी उक्त भूमि पर अतिचार करने पर मिसल नम्बर 389/24 में पारित निर्णय दिनांक 26.02.2024 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया तथा गुणावगुण के आधार पर पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी ख0नं0 594, 596/2486 रकबा 0.46 है0 किस्म बंजड़ ग्राम बड़गांव पर सम्वत् 2080 फसल रबी में भी अतिक्रमण करने पर मिसल नम्बर 389/2024 में पारित निर्णय दिनांक 26.02.2024 से बेदखल किया जाना पत्रावली में संलग्न बयान पटवारी हल्का से प्रमाणित है। इससे स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने पर हीं सजायाब करने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अन्ता द्वारा प्रकरण संख्या 500/2024 में पारित आदेश दिनांक 24.02.2025 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 24.09.2025 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया।

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर,बारां
जिला कलक्टर
बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.10.14 10:59:54 IST
Reason: SelfAttested

अपीलान्ट का उक्त भूमि पर कभी कोई कब्जा नहीं रहा है ना ही ऐसी कोई
साक्ष्य पत्रावली पर है।